यूपीसीडा का भूमि बैंक बढ़ेगा, 6190 करोड़ का बजट स्वीकृत

औद्योगिक क्षेत्रों की नई वर्गीकरण नीति बनी, एक्स-लीडा की वर्ष 2041 की महायोजना को भी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अपना भूमि बैंक बढ़ाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों को उनके विकास की स्थिति के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित यूपीसीडा की 48वीं बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक्स लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने के साथ वर्ष 2025-26 के लिए 6,190 करोड़ के बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कताई मिलों के पुनः उपयोग के लिए उनके आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई ।

मुख्य सचिव व यूपीसीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति दी गई। औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने पर 2025-26 में 6,190 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। बैठक में एक्स लीडा के मास्टर प्लान में जन आपत्तियों के निवारण व सुझाव का समायोजन करते हुए वर्ष 2041 की महायोजना पर विचारोपरांत इसे

लोक भवन में अधिकारियों संग यूपीसीडा की बैठक करते मुख्य सचिव एवं यूपीसीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ● सूचना विभाग

शासन को भेजने का निर्देश दिया गया। शासन ने यूपीसीडा को जो छह कताई मिलें उपलब्ध कराई हैं, उनके पुनः उपयोग के लिए आवंटन व दर निर्धारण का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा, एटीएल प्रतापगढ़, कताई मिल बांदा, कताई मिल मेजा, कताई मिल मलवा फतेहपुर के तलपट मानचित्रों को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि आवंटन के लिए शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। नगर निगम से प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं व म्यूनिसिपैलिटी सर्विस उपलब्ध कराने और आइएमसी प्रयागराज की योजना का तलपट मानचित्र अनुमोदित किया गया। लैंड बैंक बढ़ाने और प्राप्त भूमि के आवंटन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआइ) का प्रकाशन कराने का निर्देश बैठक में दिया गया। इकाई स्थापना के लिए नीति में परिवर्तन करते हुए अब सभी प्रकार के भूखंडों के हस्तांतरण प्रकरणों में भी नए आवंटन जैसी शर्तें लागू होंगी।

औद्योगिक क्षेत्रों की वर्गीकरण नीति में बदलाव : वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अति तीव्र, तीव्र व मंद गति से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों की वर्गीकरण नीति में परिवर्तन किया गया है। अब 75 प्रतिशत से कम आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों को मंद गति में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें भूमि का आवंटन शासन के निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) के मद में पांच प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुए किया जाएगा। आवंटन के बाद 20 प्रतिशत धनराशि 60 दिन के अंदर प्राप्त करते हुए इकाई स्थापना के लिए व 75 प्रतिशत शेष धनराशि तीन वर्ष की छह छमाही किस्तों में ब्याज सहित प्राप्त की जाएगी। अति तीव्र व तीव्र औद्योगिक क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 10 प्रतिशत ईएमडी, 40 प्रतिशत धनराशि 60 दिन में और शेष के भुगतान के नियम यथावत रहेंगे। माहेश्वरी ने कहा कि इस बजट से राज्य के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ललितपुर में बनने वाला फार्मा पार्क और एक्स-लीडा जैसे क्षेत्रीय विकास प्रोजेक्ट न सिर्फ औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे पसंदीदा राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।